न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 17/2018
अनवान : –

1. रामकुमार दतक पुत्र कलावती पत्नी नोरंगलाल जाति अग्रवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर –मृतक
   1/1. राजेश 1/2. किशन 1/3. विष्णु 1/4. रेणू 1/5. नीलम 1/6. सुमन विष्णु पि0 स्व रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवास रानीगंज जिला वर्धमान
   1/. शीला देवी पत्नी रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी बडबिराना हाल निवास रानीगंज जिला वर्धमान।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र रावताराम जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा–मृतक
   2/1. अखिलेश 2/2. आशीष 2/3 मनीष पुत्रगण जगदीश जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
   2/4. शीला पत्नी जगदीश जाति अग्रवाल साकिन सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
3. सुमित्रा देवी पत्नी अशोक मितल केयर /ऑफ किशोर चन्द जाति महाजन जनता कॉलोनी बेगु रोड़ सिरसा त0 व जिला सिरसा।
4. सुमन देवी पुत्री रावताराम जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
5. सरोज देवी पुत्री रावताराम जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
6. प्रमोद कुमार पुत्र नानकचंद जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
7. अशोक कुमार पुत्र नानकचंद जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
8. मनोज कुमार पुत्र नानकचंद जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
9. इन्द्रा देवी पुत्री नानकचंद जाति अग्रवाल निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
10. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री राम जाति अग्रवाल निवासी पटना।
11. प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम जाति अग्रवाल निवासी पटना।
12. सीता देवी पत्नी विमल कुमार छपाडिया साकिन पीओ गिरड़ी झारखण्ड।
13. चन्द्रा देवी पत्नी बीआर लड़ीया अग्रवाल निवासी संकरी जिला दरभंगा बिहार।
14. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– श्री [illegible] सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
[illegible] चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिव[illegible]ह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बडबिराना तहतील नौहर के ख.न. 74/1 की 33 बीघा 10 बिस्वा,

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ख.न. 110/1 की 8 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 252/1 की 6 बीघा 16 बिस्वा कुल 48 बीघा 13 बिस्वा भूमि कलावती पत्नी देवा नौरंगलाल जाति महावजन खातेदारीपूर्ण स्वामित्व फुल ओनर की भूमि है। कलावती के औलाद भी अपने पति की तिथ को कायम रखने के लिए व अपने बुढापे में सेवा के लिए राम कुमार पुत्र जुगलकिशोर जाति महावजन निवासी बडबिराना तहसील नौहर को दिनांक 201019858 को गोद ले लिया था। कलावती में मौतबीर गवाहन के समक्ष अ दिनांक 15–10–96 को एकवतीयत निष्पादित की। जिसके अनुसार व अपनी चल व अचल तम्पति का एक मात्र वारिस राम कुमार को घोषित किया। विवादग्रस्त भूमि को राम कुमार दत्तक पुत्र कलावती की ही काश्त करता व रकम राज अदा करता आज तक आ रहा है। जब सायल को ज्ञान हुआ की विवादग्रस्त भूमि का वारितान इन्तकाल दर्ज करवाने बैतु एक प्रार्थना–पत्र मय हलफनामा मुताबिक गैर तायल न. 2 हैं अपने व दो बहनों का व दत्तक पुत्र राम कुमार के नाम दर्ज करवाने का दिया। जिस पर रिपोर्ट कर पटवारी को इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जो इन्तकाल बिल्कुल नाजायज व गल्त है। क्योकि हिन्दु उतराधिकारी सन् 1956 के मुताबिक गैर सायलान न. 2 विवादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी न. 2 के मन में लालचं आ गया है। वह उक्त भूमि को फरोख्त करते की फिराक में है।

प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का आदेश फरमादे कि व इन्तकाल आदी दर्ज ना करे व गैर सायलान के विरूद्ध इस अमर की अत्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख.न. 74/1 की 33 बीघा 10 बिस्वा,, ख0न0 110/1 की 8 बिघा 7 बिस्वा, ख.न. 252/1 को 6 बीघा 16 बिस्वा कुल तादादी 48 बीघा 13 बिस्वा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख.न. 74/1 की 33 बीघा 10 बिस्वा,, ख0न0 110/1 की 8 बिघा 7 बिस्वा, ख.न. 252/1 को 6 बीघा 16 बिस्वा कुल तादादी 48 बीघा 13 बिस्वा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की कलावती ने रामकुमार को कभी भी खोला नही लिया एवं न ही रामकुमार के पक्ष में कोई वसीयत करवाई सायल के पक्ष में की गई वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। खोलानामा निरस्तीरण का वाद विचाराधीन है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्र[illegible] की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्र[illegible]सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रा[illegible]गण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को कलावती द्वारा गोद लिया गया है एवं कलावती ने दिनांक 15.10.1996 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत चित्रप्रति सिविल न्यायाधीश नोहर के निर्णय दिनांक 24.08.2007 के द्वारा रामकुमार के पक्ष में की गई वसीयत को खारिज किया गया है एवं अपर जिला न्यायाधिश संख्या 2 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.20218 द्वारा भी सिविल न्यायाधीश नोहर के निर्णय दिनांक 24.08.2077 को यथावत रखा गया है अर्थात वसीयत को खारिज ही किया गया है अर्थात प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत आदिनांक को मंसूखी है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 07.03.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested